... (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 721 / 202

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 प्रेमसिंह 2 सवाईसिंह पिसरान मानसिंह जाति राजपूत निवासी चन्दाणियों की ढाणी, बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री महावीर, वकील प्रार्थी पक्ष।

आदेश

दिनांक 05.12.2024

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत मौजा चन्दाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 588 / 441 रकबा 3.3994 हैक्टयर भूमि आई हुई है, जो भूमि प्रार्थी द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्रों के मार्फत प्राप्त की है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की लट्ठा ट्रेस में तरमीम सही है परन्तु तहसील ऑनलाईन करते समय मौके व बेचान के अनुसार ऑनलाईन तरमीम नही कर लट्ठा ट्रेस व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नही कर भिन्न कर दी गई, जिसके कारण मौके पर विवाद की स्थिति है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 588 / 441 रकबा 3.3994 हैक्टयर भूमि की अलग से तरमीम की हुई है जो खरीद के समय ही की गई थी परन्तु ऑनलाईन तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व जमाबन्दी में पूर्णतया अन्तर व भिन्नता है। प्रार्थी मौजा चन्दाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 588 / 441 रकबा 3.3994 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी की वर्तमान राजस्व नक्शा व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार है परन्तु ऑनलाईन नक्शा में परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार है। ऑनलाईन तरमीम मौके के अनुसार नहीं कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जाच किये तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई प्रार्थी मौके पर संलग्न परिशिष्ठ "अ" के अनुसार कब्जा काश्त है तथा परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल से अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा चन्दाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 588 / 441 रकबा 3.3994 हैक्टयर भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ठ "अ" के अनुसार ऑनलाईन तरमीम दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर [illegible] नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.07 10:11:03 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने [illegible] राजस्व / 2024 / 1728 [illegible] 18.11.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा चन्दाणियों की [illegible] पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 588 / 441 रकबा 3.3994 हैक्टयर भूमि में नामान्तकरण संख्या 754 अनुसार 441 में से 42.00 बीघा भूमि बेचान करने पर नवीन खसरा संख्या 441 / 1 दर्ज किया गया जिसकी तरमीम अक्ष पुश्त पर अंकित

नही है। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 05 ग्राम चन्दाणियों की ढाणी अनुसार आरिया विभाजन नवीन खसरा संख्या 441/1/1 रकबा 21.00 बीघा दर्ज किया गया, जिसकी तरमीम अक्ष प्रपत्र 'अ' अनुसार एवं ऑनलाईन तरमीम भी उसी अनुसार है परन्तु नक्शा ट्रेस में उक्त तरमीम उल्लेखित नही है। खसरा संख्या 588/441 का रकबा मिलान करने पर तरमीम का रकबा कम पाया गया। रकबा बरारी एवं मौके अनुसार प्रपत्र 'ब' अनुसार तरमीम अक्ष बनता है। लिहाजा मौजा चन्दाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 588/441 रकबा 3.3994 हैक्टयर भूमि में संलग्न नक्शा प्रपत्र 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने की अभिशंषा की है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी को को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा चन्दाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 588/441 रकबा 3.3994 हैक्टयर भूमि की ऑनलाईन नक्शा में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रपत्र 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2073–2076, नक्शों, बेचान पत्र व नामान्तकरणों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा संख्या 588/441 का रकबा मिलान करने पर तरमीम का रकबा कम पाया गया। रकबा बरारी एवं मौके अनुसार प्रपत्र 'ब' अनुसार तरमीम अक्ष बनता है। मौजा चन्दाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 588/441 रकबा 3.3994 हैक्टयर भूमि की ऑनलाईन तरमीम संलग्न नक्शा प्रपत्र 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा मौजा चन्दाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 588/441 रकबा 3.3994 हैक्टयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रपत्र "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा चन्दाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 588/441 रकबा 3.3994 हैक्टयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार राजस्व नक्शा अनुसार ऑनलाईन तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार समस्त रा[illegible]र बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा प्रपत्र "ब" आदेश [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.07 10:11:03 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को सरें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाडमेर